

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : एफ 25(17)चिस्वा./ग्रुप-3/2022

जयपुर, दिनांक 24.02.2025

रजिस्ट्रार,
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,
जयपुर।


विषय:- निजी क्षेत्र में नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किए जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने बाबत।

संदर्भ:- इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.12.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु निजी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थानों द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम (जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग) संचालित करने हेतु ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी से राज एनओसी पोर्टल (Rajnoc.rajasthan.gov.in) पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.12.2024 में ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.03.2025 तथा पोर्टल पर ऑनलाईन किये गये आवेदन/दस्तावेजों की चैकलिस्ट अनुसार हार्डकॉपी विभाग में स्पीड पोस्ट से जमा करवाने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.04.2025 तक बढ़ायी जानी है।

विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर लेख है कि अनुमोदित विज्ञप्ति को DIPR के माध्यम से दिनांक 28.02.2025 को राजस्थान के 02 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करावे। विज्ञप्ति प्रकाशन का खर्च राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा वहन किया जावेगा।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

कमरा नं. 4203, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, सी-स्कीम, जयपुर-302005

E-mail: jsmedicaldepartmentgroup3@gmail.com

Website: rajswasthya.nic.in

क्रमांक : प. 25(17)चिस्वा./गुप-3/2022

जयपुर, दिनांक

विज्ञप्ति

विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु निजी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थानों द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम (जीएनएम एव बीएससी नर्सिंग) संचालित करने हेतु ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी से राज एनओसी पोर्टल (Rajnoc.rajasthan.gov.in) पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.12.2024 में ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.03.2025 तथा पोर्टल पर ऑनलाईन किये गये आवेदन/दस्तावेजों की चैकलिस्ट अनुसार हार्डकॉपी विभाग में स्पीड पोस्ट से जमा करवाने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.04.2025 तक बढ़ायी जाती है।

शेष शर्तें एवं सामान्य दिशा-निर्देश पूर्व की विज्ञप्ति दिनांक 23.12.2024 के अनुसार यथावत रहेंगे।

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव